अपराध समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों के विशेष संदर्भ में)

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनसंचार विषय में पी-एच.डी. उपाधि के पंजीयन हेतु प्रस्तुत

शोध की रुप-रेखा

वर्ष 2012

शोध निर्देशक
डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग,
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं
जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

सह निर्देशक
डॉ.शाहिद अली
एसोसिएट प्रोफेसर,
जनसंचार विभाग
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं
जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

शोधार्थी
राजेश कुमार

शोध केंद्र
जनसंचार विभाग
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

शोध रुप-रेखा

(SYONOPSIS)

1. शोध का शीर्षक: **अपराध समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन**

(छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय टेलीविजन समाचार चैनलों के संदर्भ में)

2. परिचय

जनसंचार के माध्यमों के रुप में टीवी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। आज देश में 7 करोड़ से ज्यादा घरों तक टीवी सेट पहुंच चुका है जिसके माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा लोग औसतन 100 चैनलों को देख रहे हैं। (स्रोत- वीकिपीडिया) देश में अलग अलग भाषाओं में टेलीविजन के करीब 515 चैनल प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें से 150 पेड चैनल हैं। 2011 के अंत तक भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 821 टीवी चैनलों को प्रसारण का लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में हिंदी भाषा में न्यूज चैनल चलाने का लाइसेंस 29 समूहों दिया जा चुका है। असमिया भाषा में 13 समाचार चैनल, अंग्रेजी भाषा में 19, मलयाली भाषा में 9, मराठी भाषा में 6, उड़िया भाषा में 7 , तमिल भाषा में 9 और तेलुगू भाषा में 21 न्यूज चैनल प्रसारित हो रहे हैं। अन्य प्रादेशिक भाषओं में भी करीब 30 न्यूज चैनल प्रसारित हो रहे हैं। भारत में मुख्यत पांच प्रकार के टीवी प्रसारण उपलब्ध है। फ्री टू एयर, सेट टॉप बॉक्स के जरिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम, केबल ऑपरेटर, डाइरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज मीडिया सामग्री में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंसा और अपराध की है। इसका प्रभाव भी लोगों और समाज पर पड़ रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बच्चे और युवाओं ने छोटे और बड़े पर्दे पर दिखाए गए हिंसा, हत्या, डकैती, अपरहण या बलात्कार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों की नकल की है। दुनिया भर में मीडिया में दिखाए जाने वाले अपराध और हिंसा के प्रभावों पर ह्जारों शोध हो चुके हैं। इनमें अकेले अमेरिका में ही 3 हजार से ज्यादा शोध हुए हैं। करीब हर शोध ने ये सुझाया है कि समाज में बढ़ते आक्रामकता और छोटे बड़े पर्दे पर हिंसा को देखने के बीच संबंध है। अमेरिकन मनोविज्ञान एसोसिएशन (2010) के मुताबिक, अमेरिका में 10 या 11 साल की उम्र तक एक बच्चा 8 हजार मर्डर और 10 हजार हिंसा के दृश्य टेलीवीजन पर देख चुका होता है। इसके बावजूद अब भी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि मीडिया में

परोसी गई हिंसा ही समाज में हिंसा बढ़ने की वजह है। हो सकता है टीवी या फिल्मों में दिखाई गई हिंसा कई कारको में से एक हो। जनसंचार और मनोविज्ञान के कई विद्वानों ने शोध के आधार पर ये मत दिया है कि स्क्रीन हिंसा और समाज में होने वाली हिंसा के बीच संबंध हैं। लेकिन वहीं, दूसरे विद्वान भी हैं, जो मानते हैं कि पर्दे पर दिखाई गई हिंसा ही समाज में हिंसात्मक व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये अलग बात है कि पर्दे की हिंसा और समाज की हिंसा के बीच महत्वपूर्ण संबंध नजर आते हैं, लेकिन ये आंकड़े कारण और प्रभाव संबंध को दिखाने में विफल हैं। ऐसे में आज भी मीडिया में परोसी गई हिंसा और समाज पर पड़ रहे उसके प्रभाव का अध्ययन शोध का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।

जनसंचार के एक माध्यम के रुप में टेलीविजन का समाज में प्रभाव और प्रसार गहरे तक पैठ चुका है। सूचना और मनोरंजन का ये सबसे बड़ा साधन बन चुका है। आज के समाज को जानकारी का भूखा भी कहा जाता है। लोग हर उस जानकारी को जानने और परखने को लालायित होते हैं, जिनका प्रभाव उन पर पड़ता है या पड़ने वाला होता है। इसी का परिणाम है कि एक के बाद एक समाचार चैनलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे चलने वाले चैनलों की संख्या राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर हर साल बढ़ रही हैं। देश में ऐसे समाचार चैनलों की संख्या भी करीब 100 तक पहुंच चुकी है। इन चैनलों द्वारा प्रसारित समाचारों की पहुंच लाखों करोड़ों तक है। स्वाभाविक है कि इन चैनलों पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनका समाज और लोगों पर भी असर पड़ेगा।

अन्य प्रांतों की तरह छत्तीसगढ़ में भी करीब आधे दर्जन प्रांतीय समाचार चैनल प्रसारित हो रहे हैं। सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ (2002), ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ (2002), जी 24 घंटे छत्तीसगढ, (2008) साधना न्यूज मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ (2008), बंसल न्यूज मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (2011), खबर भारती, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-राजस्थान (2012). इनके अलावा तीन केबल समाचार नेटवर्क भी संचालित हो रहे हैं। इनमें हैथवे-सीएनएन-भास्कर नेटवर्क, ग्रैंड केबल नेटवर्क, और देश टीवी केबल नेटवर्क शामिल हैं। राष्ट्रीय मीडिया की तरह ही छत्तीसगढ़ के प्रांतीय चैनलों पर अपराध खबरों को प्रमुखता दी जाती है। राजधानी के ब्यूरो में एक या दो क्राइम रिपोर्ट नियुक्त किए गए हैं, जो अपराध खबरों का संकलन करते हैं। चैनलों पर अपराध खबरों को प्रमुखता से प्रसारित भी किया जाता है। माना जा सकता है कि इसका असर प्रदेश की जनता पर भी पड़ रहा होगा।

3. पूर्व में हुए शोध कार्यों का विवरण

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रादेशिक चैनलों पर प्रस्तुत अपराध खबरों की प्रकृति, प्रभाव एवं प्रस्तुति पर अब तक कोई शोध कार्य प्रकाश में नहीं आया है। इस प्रकार ये शोध कार्य छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नवीन है। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्टीय स्तर पर शोध कार्य जरुर हुए हैं। जनसंचार विषय से इतर, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र में भी इस विषय के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया गया है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत टीवी चैनलों पर प्रसारित टीवी सीरियल्स का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि साजिश वाली धारावाहिक देखने का असर महिलाओं की सोच पर पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में अपराध खबर और मीडिया हिंसा के प्रभावों पर हजारों शोध हो चुके हैं। इनमें अकेले अमेरिका में ही 3 हजार से ज्यादा शोध हुए हैं। करीब हर शोध ने ये सुझाया है कि समाज में बढ़ते आक्रामकता और छोटे बड़े पर्दे पर हिंसा को देखने के बीच संबंध है। 1956 में अमेरिका में शोधकर्ताओं ने 24 किशोर के समूह पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया। आधे बच्चों को कार्टून के हिंसक कार्यक्रम दिखाए गए, और आधे को गैर हिंसात्मक कार्यक्रम। बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि सामाजिक जिंदगी में, जिन बच्चों ने हिंसात्मक कार्यक्रम देखा था, वो ज्यादा उग्र थे और खिलौना तोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। इस शोध से निष्कर्ष आया कि जो बच्चे ज्यादा हिंसात्मक कार्यक्रम देखते हैं उनके वास्तविक जिंदगी में ज्यादा हिंसक होने की संभावना होती है. 2003 में टेक्सास विश्वविद्यालय के 500 छात्रों पर प्रयोग किया गया। पाया गया कि जो बच्चे मीडिया हिंसा को अधिक देर तक देखते हैं, उनमें वयस्कों जैसी आक्रमता बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

4. शोध अध्ययन का उद्देश्य

A. छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित अपराध समाचारों अंतर्वस्तु विश्लेषण।

B. छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित अपराध समाचारों की प्रस्तुतिकरण का अध्ययन ।

5. शोध संबंधी उपकल्पनाएं

A. टीवी चैनलों पर प्रसारित अपराध समाचारों की विषय वस्तु कमोबेश एक समान होती है।
B. टीवी चैनल अपराध समाचार प्रस्तुत करने में हर संभव प्रयोग करते हैं।
C. टीवी चैनलों पर अपराध समाचारों को देखकर लोगों को कानून और अपराध से बचने की जानकारी बढ़ती है।
D. संभ्रांत वर्ग और परिवार से जुड़े अपराध समाचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

6. प्रस्तावित शोध की आवश्यकता और महत्व :

प्रस्तावित शोध कार्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय समाचार टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित अपराध समाचारों की विषयवस्तु को समझने में मदद करेगा। साथ ही, अपराध समाचारों को लेकर इन चैनलों की प्राथमिकता का भी पता लग सकेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर ये बात चिंता के साथ उठाई जाती है कि समाचार चैनलों पर अपराध खबरों की प्रमुखता का नकारात्मक असर समाज पर पड़ रहा है। ये भी कहा जाता है कि टेलिविजन चैनल अपने हित के लिए अपराध समाचारों को आम जनता के बीच परोसते हैं। प्रस्तावित शोध कार्य से इन सवालों का भी जवाब मिल सकेगा, कि प्राइम टाइम पर दूसरी खबरों की तुलना में अपराध खबरों को किस हत तक महत्व दिया गया या नहीं दिया गया। अब तक छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय समाचार टेलिविजन चैनलों के संदर्भ में ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो सका है, इसलिए प्रस्तावित शोध कार्य उपरोक्त समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसके निदान के लिए उपयुक्त सुझाव प्राप्त करने में सहायक होगा।

7. शोध प्रविधि :

प्रस्तावित अध्ययन की शोध प्रविधि निम्नानुसार है।

1. चैनलों का चयन -
2. अध्ययन की अवधि -
3. समंकों का संकलन -
4. सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग

a) चैनलों का चयन - शोध कार्य की सामग्री चैनलों पर प्रसारित अपराध खबर होगी। इसके संकलन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए प्रसारित क्षेत्रीय टेलीविजन समाचार चैनलों में से तीन टेलीविजन चैनलों का चयन किया जाएगा। इन चैनलों के चयन का आधार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इनकी उपलब्धता और लोकप्रियता रहेगी। इस प्रकार, वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए ज्ञात हो रहा है कि अध्ययन छत्तीसगढ़ के लिए प्रसारित जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, ईटीवी मध्यप्रदेश-छत्तीसढ़, एवं दूरदर्शन रायपुर पर केंद्रित होगा।

b) अध्ययन की अवधि- अध्ययन 1 अक्टूबर 2012 से 1 दिसंबर 2013 तक संपन्न होगा।

c) समंकों का संकलन- प्रस्तावित शोध कार्य प्राथमिक समंकों पर ही आधारित है। लेकिन शोध की संपूर्णता द्वतियक समंकों के बिना पूरी नहीं हो सकती। अत शोध में प्राथमिक एवं द्वतियक समंकों को संकलित कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी।

i. द्वतियक समंकों का संकलन- विषय की व्यापकता एवं विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए द्वतियक समंकों का संकलन उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाएं, शोध पत्रों, रिपोर्टों, डिजिटल रुप में प्रकाशित इंटरनेट सामग्रियों की सहायता से अध्ययन अवधि में संकलित किए जाएंगे।

ii. प्राथमिक समंकों का संकलन- प्रस्तावित शोध का प्राथमिक समंक मूल आधार हैं। अत : प्राथमिक समंकों का संकलन शोध की वैज्ञानिक विधियों की सहायता से उद्देश्यों की विशेषता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

a. उद्देश्य क्रमांक एक छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित अपराध की खबरों का अंतर्वस्तु विश्लेषण करने के लिए अध्ययन अवधि के दौरान तीनों चयनित चैनलों पर प्राईम टाइम पर प्रसारित अपराध समाचारों का अध्ययन किया जाएगा। इसकी पूर्ति के लिए तीन महीनों तक प्राइम टाइम पर प्रसारित समचार बुलेटिनों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। संसाधनों एवं तकनीक की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह में तीनों चयनित चैनलों की समान समान अवधि की रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तीनों समाचार चैनलों से समान प्रतिनिधित्व वाली अंतर्वस्तु

मिल सके। अध्ययन में समंकों के संकलन को वैज्ञानिक बनाने के लिए अल्टरनेटिव क्रम में रिकॉर्डिंग की जाएगी। उद्देश्य क्रमांक एक की पूर्ति के लिए रिकॉर्डेड सामग्री को 15 सप्ताहों में रिकॉर्डेड अवधि एवं समय के अनुसार वर्गीकृत कर विश्लेषण किया जाएगा। साप्ताहिक रुप से वर्गीकरण एवं विश्लेषण के बाद प्राप्त तथ्यों को अवधि एवं समय के अनुसार मासिक वर्गीकरण कर उत्तर प्राप्त किया जाएगा। प्राइम टाइम से अलग, यदि चयनित समाचार चैनलों पर अपराध समाचारों की कोई विशेष बुलेटीन प्रसारित होती है, तो उनकी अलग से रिकॉर्डिंग की जाएगी एवं इनका भी विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कर उनका विश्लेषण किया जाएगा।

b. उद्देश्य क्रमांक दो, छत्तीसगढ़ के टेलिविजन चैनलों पर प्रसारित अपराध समाचारों की प्रस्तुतिकरण के अध्ययन के लिए संकलित समंकों का विश्लेषण किया जाएगा। समंक 15 सप्ताह की अवधि की रिकॉर्डेड सामग्री होंगे, जो प्राइम टाइम पर प्रसारित समाचार बुलेटीन होंगे। प्राप्त समंकों को प्रस्तुतिकरण के विविध मानकों के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण उपरांत उत्तर प्राप्त किया जाएगा। यथा, किसी अपराध समाचार को किस चैनल ने किस रुप में प्रस्तुत किया। उस खबर को कितनी अवधि दी गई? क्या उसकी पैकेजिंग ट्रीटमेंट अलग थी? क्या उसमें टेक्सट, विडियो और साउंड इफेक्ट का उपयोग किया गया? क्या उक्त अपराध समाचार के लिए पूरक समाचार भी तैयार किए गए? इस प्रकार, किसी अपराध को प्रस्तुत करने में चयनित समाचार चैनलों की नीति, उद्देश्य, हित, और दर्शकों का रुझान जैसे अहम सवालों के उत्तर प्राप्त किए जा सकेंगे।

d) सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग : प्रस्तावित शोध कार्य में समंक विश्लेषण के दौरान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानक सांख्यिकीय विधियों का भी प्रयोग किया जाएगा। समंकों के वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्राप्ति के लिए इनका उपयोग होगा।

8. अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएं**:**

a) यह अध्ययन टेलीविजन पर प्रसारित अपराध समाचारों तक सीमित होगा।
b) अध्ययन क्षेत्र मात्र छत्तीसगढ़ राज्य तक ही सीमित है।
c) अध्ययन में प्राइम टाइम यानि, शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच प्रसारित समाचार बुलेटिन का 15 सप्ताह की अवधि की रिकॉर्डेड सामग्री ही शामिल होंगी। चयनिय समाचार चैनलों पर अपराध समाचारों की विशेष बुलेटिन की अलग से रिकॉर्डिंग की जाएगी। उन्हें भी अध्ययन में शामिल किया जाएगा।

9. प्रस्तुत अध्ययन के क्षेत्र में अनुमानित निष्कर्ष

प्रस्तावित शोध कार्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर प्रसारित अपराध खबरों के बारे में कई अहम जानकारी प्राप्त हो सकेगी। छत्तीसगढ में अपराध और समाचार चैनलों पर उसकी प्रस्तुति के विविध पहलुओं का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अपराध समाचारों को लेकर यहां के क्षेत्रीय चैनलों का रुख किस प्रकार का है? अपराध समाचार को लेकर चैनलों की प्राथमिकता क्या है? अपराध समचार प्रसारित करते हुए मीडिया संहिता और संवेदनाओं का किस हद तक ख्याल रखा जाता है? अपराध समचार में किन किन सेट पैटर्न का उपयोग किया जाता है? ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर प्राप्त हो सकेंगे।

10 .संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, विनोद सी. एवं राय, कुमकुम (1998). : "वुमेन, टेलीविजन एंड रुरल डेवलपमेंट", नई दिल्ली, नेशनल पब्लिकेशन हाउस.

2. अल्तसुल, जे.एच.(1984). "एजेंट्स ऑफ पावर: द रोल ऑफ न्यूज मीडिया इन ह्यूमन अफेएयर", न्यूयॉर्क, लांगमैन.

3. आनंद एम एवं विनिता कोहली, (2000).: "केबल वार्स", बिजनेसवर्ल्ड, 13नवंबर 2000

4. एंडरसन, सी., बर्कोवित्ज एल., डोनरस्टेन, ई., ह्यूसमैन, एल. आर., जॉन्सन, जे., लिंज, डी.(2003).: "द इंफ्लूएंस ऑफ मीडिया वायलेंस ऑन यूथ", न्यूयॉर्क, साइकोलॉजिकल साईंस इन द पब्लिक इंट्रेस्ट,

5. एंडरसन, जे.ए. (1987): "कम्युनिकेशन रिसर्च- इश्यूज एंड मेथड्स", न्यूयॉर्क, मैक्ग्रा हिल्स पब्लिकेशन।

6. आर्या, सुनंदा (1989). : "मास मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया", जयपुर, प्रिंटवेल पब्लिसर्स।

7. बिगई, शिर्ले (2003).: "मीडिया इंपैक्ट", लंदन, थॉमस वाड्सवर्ट।

8. ब्रैवले, ई.ए., (1983) मास मीडिया एंड ह्यूमन सर्विसेज, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन।

9. बुशमैन, बी. एवं एंडरसन (2001).: "मीडिया वॉयलेंस एंड दी अमेरिकन पब्लिक", अमेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इओवा स्टेट यूनिवर्सिटी।

10. चैटी, एस. एसय एवं बर्गर, सी.आर.(1987). : "हैंडबुक ऑफ कम्युनकेशन साइंस", लंदन, सेज पब्लिकेशन।

11. चौहान, एस.एस. (1982). : "प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स ऑफ जर्नलिज्म", नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन हाउस।

12. डेविसन, डब्ल्यू., फिलिप्स (1974). "मास कम्युनिकेशन रिसर्च मेजर इश्यूज एंड फ्यूचर डायरेक्शन", न्यूयॉर्क, प्रैईगर।

13. फ्रैंक, एच. क्राउसे (1990). : "मीडिया टेक्निक विद यूथ", ओहियो, चार्ल्स एंड मर्विल।

14. जॉन, आर. जैलर (2001). : "द नेचर एंड ओरिजिन्स ऑफ मास ओपिनियन", न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन।

15. जोनाथन, एन. फ्रीडमैन (2003).: "मीडिया वायलेंस एंड इट्स इफैक्ट्स ऑन एग्रेसन", न्यूयॉर्क, प्रैईगर।

16. कश्यप, एस. एवं कुमार, एम (2006). : "टेलीविजन की कहानी", नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।

17 . कामथ, एम. वी. (1997). : "प्रोफेसनल जर्नलज्मि", नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।

18. केवल, जे. कुमार (2000). : "मास कम्युनिकेशन इन इंडिया", नई दिल्ली, ज्ञान बुक्स प्रा. लि.।

19. क्लैपर, जे. टी. (1960). : "द इफेक्टस ऑफ मास कम्युनिकेशन", इलिनॉयस, फ्री प्रेस ग्लेन्को.

.

20. कृष्णामूर्ति, नाडिग (1966). : "इंडियन जर्नलिज्म", मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसर।

21. मेहता, आलोक (2006). : "पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा", नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन।

22. मेहता, डी. दास. (1992). : "मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलज्मि इन इंडिया", नई दिल्ली, एलाइड।

23. मेनन, मृदुला एवं प्रकाश गांधी (2001). : "न्यू इंफॉर्मेशन ऑर्डर, नई दिल्ली", कनिष्का पब्लिशर्स

24. मोहन, अरविंद (2008). : "मीडिया की खबर", दिल्ली, शिल्पायन पब्लिकेशन।

25. नंदा, वर्तिका (2011). : "टेलीविजन और क्राइम रिपोर्टिंग", नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।

26. नटराजन, जे. (1999). : "हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म", नई दिल्ली, द पब्लिकेशन डिविजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

27. विथ रिचर्ड, एच. (1983). : "टेलीविजन टेलीटेक्स्ट", नॉर्थ हॉलैंड।

अपराध समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय चैनलों के विशेष संदर्भ में)

अनुक्रमणिका

अध्याय-1 अपराध समाचार का परिचयात्मक अध्ययन

(क) समाचार का अर्थ, प्रकार एवं विशेषताएं

(ख) अपराध समाचार-प्रकार एवं वर्गीकरण

(ग) टेलीविजन समाचार चैनल एवं अपराध समाचार

(घ) अपराध समाचार : वर्तमान संदर्भ में

अध्याय-2 शोध पद्धति

(क) साहित्य का अवलोकन

(ख) शोध का उद्देश्य एवं महत्व

(ग) शोध पद्धति

(घ) शोध की सीमाएं

अध्याय- 3 टेलीविजन चैनलों के विकासक्रम का अध्ययन

(क) राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल

(ख) क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल

अध्याय- 4 अपराध की घटनाएं एवं रिपोर्टिंग

(क) छत्तीसगढ़ में अपराध के विविध रुप एवं स्थिति

(ख) रिपोर्टिंग की समस्याएं एवं चुनौतियां

(ग) अपराध समाचार एवं मीडिया संहिता

अध्याय- 5 अपराध समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अध्याय- 6 सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ ग्रंथ सूचि

परिशिष्ट